अति आवश्यक
रा0रा0मानव अधिकार आयोग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

कमांकः– एफ 15( )14/श्रम/प्रमुवसं/ 2362-79 दिनांक 23/08/16
निमित,

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वन वर्धन जयपुर/प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, जयपुर।
मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर/जयपुर/कोटा/अजमेर/भरतपुर/बीकानेर/जोधपुर।
मुख्य वन संरक्षक,
(वन्य जीव)जयपुर/कोटा/उदयपुर/भरतपुर/जोधपुर।
विभागीय कार्य जयपुर/एफपीआरपी जयपुर/आरवीपी कोटा/एवं
प्रावैधिक सहायक प्र.मु.व.सं. राज0 जयपुर।

विषयः—वर्कचार्ज कर्मचारियों के टी.ई. प्रकरणों के संबंध में।

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के निर्देशों की पालना में कार्य प्रभारित कार्मिकों के टीई प्रकरणों के निस्तारण हेतु इस कार्यालय के पत्र दिनांक 04.12.13 एवं इस कम में समय समय पर जारी स्मरण पत्रों से बकाया टी ई प्रकरणों की निर्धारित प्रपत्र में सूचना तथा टी ई जारी करने हेतु संबंधित दस्तावेज इत्यादि स्थानीय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को भिजवाते हुये प्रति वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता) को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये थे।

मानव अधिकार आयोग द्वारा टी ई प्रकरणों के निस्तारण की प्रगति की समीक्षा निरन्तर की जा रही है। इस हेतु आयोग में नियत दिनांक 05.07.16 को विभिन्न कार्यालय के बकाया टी.ई. के 1019 प्रकरणों से आयोग को अवगत करवाया गया है। इस पर आयोग ने आदेशिका दिनांक 05.07.16 से बीमा विभाग से सम्पर्क कर बकाया टीई के प्रकरणों का निस्तारण दो माह में करने हेतु विभाग को निर्देशित किया है। **इस कार्यालय को प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार कई अधिनस्थ कार्यालयों द्वारा बकाया टी. ई. जारी करवाये जाने में अपेक्षित रूचि नहीं ली जा रही है। ऐसी स्थिति में आयोग द्वारा इन अधिनस्थ कार्यालयों अथवा विभाग के लिए कोई आदेश पारित किया जाता है तो इसकी जिम्मेवारी अधिनस्थ कार्यालय की होगी।**

अतः आयोग की आदेशिका दिनांक 05.07.16 के कम में समस्त बकाया टी.ई. के प्रकरणों का निस्तारण दिनांक 07.09.16 तक करवाया जाना सुनिश्चित करवा कर प्रगति से इस कार्यालय को अवगत करावे। टी ई प्रकरणों के निस्तारण की **सूचना ईमेल एड्रेस dcfll@yahoo.in पर ही प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावे।**

कृपया इस सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावें।

भवदीय,
(ए.के.सिंह)
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
श्रम एवं विधि
राज.जयपुर

कमांकः– एफ 15( )14/श्रम/प्रमुवसं/ 2380-2480 दिनांक 23/08/16
प्रतिलिपि समस्त उप वन संरक्षक/कार्य आयोजना अधिकारी/वन बन्दोबस्त अधिकारी को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता हैं कि **उक्त सूचना केवल ईमेल एड्रेस dcfll@yahoo.in पर ही प्रेषित की जावे।**
कम्प्यूटर अनुभाग, बेवसाईट पर अपलोड हेतु।

(ए.के.सिंह)
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
श्रम एवं विधि
राज.जयपुर